दिनेश कुमार अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 18/603

19.12.2018	पत्रावली पेश हुई । विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित । प्रार्थी द्वारा यह रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 अपील संख्या 14/297 से अप्रसन्न होकर पेश किया है । रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित व्यक्ति है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अपीलान्ट कुलवीर सिंह ने मिलकर जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 12.05.1970 को क्रय की थी और खातेदार अधिकार प्राप्त कर लिये थे । न्यायालय में अपील सहखातेदार श्री कुलवीर सिंह के कायममुकाम श्री विवेक सिंघल ने प्रस्तुत की है, उक्त अपील में भी प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है । प्रार्थी व्यथित व्यक्ति है तथा प्रार्थी को रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर 1964 (एससी) पेज 1372 व माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय के निर्णय एआईआर 1996 कर्नाटका पेज 99 में स्पष्ट किया है कि व्यथित तृतीय व्यक्ति जो वाद में पक्षकार नहीं था उसे भी रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है । एआईआर 1989 (एससी) पेज 1582 निर्णय को कन्सीडर नहीं किया है । इस निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी अधिकारी बिना अधिकारिता के निर्णय पारित करता है तो वो शुरू से शून्य है । धारा 90 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय तहसीलदार को खातेदारी अधिकार समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया है और धारा 91ए में प्रोविजो में स्पष्ट किया है कि अतिक्रमी को बेदखली करने की बजाय प्रिमियम जमा करने का आदेश देकर कब्जा बरकरार रखा जा सकता है । नियमों में खातेदारी अधिकार समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2005 को किस प्रकार विधि सम्मत माना गया इसका कोई कारण माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनाक 29.10.2018 में नहीं बताया है । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 1982 (2) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज नम्बर 134 व 1995 डीएनजे (एससी) पेज 201 में स्पष्ट किया है कि धारा 90 ए सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत समरी ट्रायल से भूमि का टाईटल निर्धारित नहीं किया जा सकता है और अपने पक्ष में प्रकरण निस्तरण कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधनियम के तहत बेदखल भी नहीं किया जा सकता । टाईटल निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । माननीय उच्च

न्यायालय के निर्णय एआईआर 1981 राजस्थान पेज 36 में सिद्धान्त प्रतिपदित किया गया है कि अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की उपेक्षा होती है तो प्रकरण ऐरर अपरेन्ट ऑन द फेज ऑफ रिकॉर्ड की श्रेणी में आता है जो रिव्यू किया जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे और न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 को निरस्त करते हुए अपील की सुनवाई दोबारा की जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में एआईआर 1989 (एससी) पेज 1582, डब्ल्यूएलसी 1989 (1) पेज 151, एआईआर 1981 (राजस्थान) पेज 36, एआईआर 1996 (कर्नाटका) पेज 99 उद्धरत की ।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय में पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया था जिसे खारिज किया जा चुका है । अपील में उन्हें रिव्यू पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने प्रार्थना पत्र का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 26.09.2018 को खारिज किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में हमारी राय में उन्हें इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । उन्हें इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.09.2018 के खिलाफ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में रिवीजन पेश करनी चाहिए थी । जहॉ तक एआईआर 1996 (कर्नाटका) पेज 99 का प्रश्न है वो इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र मूल पक्षकारों के द्वारा ही पेश किया जा सकता है न कि किसी अजनबी व्यक्ति के द्वारा परन्तु उस प्रकरण में प्रार्थिया को हितबद्ध मानते हुए प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थिया को absolute Stranger नहीं मानते हुए रिव्यू पीटीशन स्वीकार किया गया है । सामान्य परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यही माना गया है कि अजनबी व्यक्ति के द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता । जहॉ तक एआईआर 1989 (एससी) पेज 1582 का प्रश्न है वो भी इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्यों कि यधारा 90 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना सक्षम स्वीकृति से कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग करता है तो वो धारा 91 के तहत बेदखली का पात्र होगा । धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बेदखल किसी व्यक्ति की उसके खाते की भूमि को नहीं किया जा सकता वरन् उस आराजी को सिवायचक दर्ज करने के उपरान्त अथवा उसकी खातेदारी समाप्त करने के उपरान्त ही बेदखल की कार्यवाही धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत की जा सकती है । इस प्रकार तहसीलदार का उक्त कृत्य विधिक प्रावधानों के अनुसार है ।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो इस प्रकारण में है वह यह है कि इस न्यायालय के द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक 29.10.2018 के बिन्दु संख्या 11 में यह माना गया था कि जबतक अपीलान्ट स्वयं को कुलवीर का कायममुकाम घोषित नहीं करवाता है तब तक उसे परीक्षण न्यायालय के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

इन समस्त तथ्यों के आधार पर रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।

19.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा